BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 25 अप्रैल 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने की आरोपिता को आजीवन कारावास व 20,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्ता रूबी सिंह उर्फ उपासना पत्नी पवन कुमार निवासी न्यू शिवपुरी गली नं0 6 थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में अपने पति की मां (सास) की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 07.07.2019 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 414/2019 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 16.12.2019 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 13 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 25.04.2025 को न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार सचान (मा0 न्यायालय एडीजे खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्ता रूबी सिंह उर्फ उपासना को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री संजीव कुमार व श्रीमती रश्मि सोलंकी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्ता को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर